

-:प्रेस नोट दिनांक 21.09.2021:-

जनपद बरेली ।

साइबर सैल, एसओजी व थाना फरीदपुर जनपद बरेली की संयुक्त टीम द्वारा साइबर ठगी करने वाले नाइजीरियन गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार तथा कब्जे से ठगी के 27 लाख रुपये नकद, एक मोबाईल फोन बरामद एवं खातों में 30 लाख रुपये फ्रीज ।

थाना फरीदपुर जनपद बरेली पर दिनांक 26.08.2021 को वादी उ०नि० श्री राजकुमार सिंह थाना फरीदपुर द्वारा मु०अ०सं० 501/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 66 डी आईटीएक्ट बनाम रॉबर्ट ओटेजेमे (नाइजीरियन नागरिक) आदि पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना प्रचलित है। विवेचना के दौरान नामित आरोपियों के अतिरिक्त अन्य साइबर अपराधियों के नाम प्रकाश में आये थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बरेली, पुलिस अधीक्षक (अपराध) जनपद बरेली के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी फरीदपुर जनपद बरेली के कुशल नेतृत्व में **फरीदपुर पुलिस टीम, एसओजी टीम, साइबर सैल टीम** द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए **आज दिनांक 21.09.2021 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त रूकसाद पुत्र रजा हुसैन उर्फ रज्जन निवासी मोहल्ला ऊंचा नई बस्ती भूरे खाँ की गौटियाँ कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली को प्रातः 08.10 बजे बीसलपुर रोड भुता मोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 27 लाख रुपये नकद व एक कीपेड मोबाईल बरामद किया गया है।** यह धनराशि अभियुक्त रूकसाद उपरोक्त द्वारा साइबर अपराध गैंग के द्वारा ठगी करके प्राप्त करना बताया गया तथा उपरोक्त बरामद धनराशि मुकदमा उपरोक्त की घटना से संबंधित होना पायी गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि यह धनराशि नाइजीरियन गैंग द्वारा स्वरूप नगर जनपद कानपुर स्थित गणेशा ईकोटेक प्राईवेट लिमिटेड के ईमेल को हैक कर लगभग 2.5 करोड़ रुपयों को विभिन्न खातों में स्थान्तरित किया गया था। जिसमें से 35 लाख 85 हजार मेरे खाते में आये थे। इस धनराशि में से मेरे द्वारा 6 लाख रुपये खर्च कर दिये गये थे तथा बरामद बाकी 27 लाख रुपये उन्ही ठगी धनराशि के है। अभियुक्त रूकसाद उपरोक्त तथा उसके साथी **हरपाल उर्फ महेन्दी हसन पुत्र कल्लू बजाज निवासी मोहल्ला भूरे खाँ की गौटियाँ कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली व इसका पुत्र अरबाज व अन्य नाइजीरियन** के साथ मिलकर संगठित गैंग के रूप में काम करते हैं और फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर देश के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न बैंकों में फर्जी नामों से खाते खुलवाकर व्यवसायिक फर्मों से फर्जी रूप से धनराशि अपने खातों में आहरण कराते हुए अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये उसके उपयोग करते है। अभियुक्त रूकसाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। **साइबर अपराध से सम्बन्धित प्रकरणों में बरेली पुलिस द्वारा बरामद करायी गयी अब तक की यह सबसे बड़ी धनराशि है ।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रूकसाद पुत्र रजा हुसैन उर्फ रज्जन निवासी मोहल्ला ऊंचा नई बस्ती भूरे खाँ की गौटियाँ कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 501/2021 धारा 419/420/467/468/471/411 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट बनाम रूकसाद

बरामदगी का विवरण:-

1. गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 27 लाख रुपये नकद तथा एक कीपेड मोबाईल फोन बरामद होना तथा इस गैंग के खातों में ठगी गयी धनराशि के करीब 30 लाख रुपये फ्रीज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक अजय पाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना फरीदपुर मय टीम जनपद बरेली।
2. निरीक्षक संजय कुमार धीर प्रभारी साइबर सैल मय टीम जनपद बरेली।
3. निरीक्षक हिमांशु निगम प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद बरेली ।
4. निरीक्षक सुरेशचन्द्र निरीक्षक अपराध थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।
5. उ०नि० अभिषेक सिंह एसओजी टीम जनपद बरेली ।
6. उ०नि० श्याम सिंह साइबर सैल जनपद बरेली ।
7. उ०नि० राजकुमार सिंह थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।